विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

प्रश्न संख्या तारांकित : 5090

उत्तर की तिथि : 11–03–2022

विषय : उचित मूल्य की दुकानें

प्रश्नकर्त्ता का नाम : श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर)

सम्बन्धित मन्त्री : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री

प्रश्न		उत्तर
क्या खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		(क), (ख) तथा (ग) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(क)	जिला बिलासपुर में कितनी उचित मूल्य की दुकानें सहकारी व निजी क्षेत्रों में चल रही है, इनमें से कितनी दुकानें विभागीय/ सहकारी संस्था के भवनों में व कितनी निजी भवनों में संचालित की जा रही है; ब्यौरा दें;	
(ख)	इन भवनों में से कितने भवन जर्जर हालत में है तथा इन भवनों का निर्माण कब हुआ था; निर्माण के बाद आज तक इनमें से कितने भवनों की मरम्मत करवाई गई व उन पर कितना व्यय किस मद से किया गया; ब्यौरा दें; और	

(ग)	इन जर्जर भवनों की मरम्मत हेतु सरकार क्या पग उठा रही है; क्या विभाग के पास इन जर्जर भवनों से हुए सस्ते राशन के नुकसान का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है; ब्यौरा दें ?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्याः 5090 जो कि माननीय विधायक श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर) द्वारा 'उचित मूल्य की दुकानों' बारे पूछे गये (क), (ख) एवं (ग) भाग से सम्बन्धित सूचनाः–

(क) वर्तमान में जिला बिलासपुर में कुल 240 उचित मूल्य की दुकानें सहकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में चल रही हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

सहकारी सभाएं	=	180
निजी	=	60
कुल	**=**	**240**

उक्त उचित मूल्य की दुकानों में से 118 दुकानें सहकारी सभा के भवनों में व 122 दुकानें निजी भवनों/किराये के भवनों में चल रही हैं।

(ख) इन भवनों में से 12 उचित मूल्य की दुकानें जो सहकारी सभाओं की हैं उन की मुरम्मत अपेक्षित थी जिसमें से सहकारी सभाओं ने सभा कोष से चार की मुरम्मत करवा ली है व एक का मुरम्मत कार्य प्रगति पर है जिस पर लगभग 21.5 लाख रूपये का खर्च किया गया है। इन भवनों के निर्माण की तिथि, निर्माण के बाद जितने भवनों की मुरममत करवाई गई व उन पर कितना व्यय किस मद् से किया गया उसका ब्यौरा अनुबन्ध ''क'' पर है।

(ग) सहकारी सभाओं की उचित मूल्य की दुकानों की मुरम्मत के लिए विभाग के पास बजट प्रावधान नहीं है, लेकिन समय–समय पर एकीकृत सहकारी विकास योजना के माध्यम से भवन मुरम्मत हेतु आर्थिक सहायता/ऋण

उपलब्ध करवाया जाता है। इन भवनों में सस्ते राशन के नुकसान का कोई भी मामला संज्ञान में नहीं है।

अनुबन्ध ''क''

जर्जर हालत की उचित मूल्य की दुकानों का नाम, इन भवनों के निर्माण व मरम्मत की दिनांक तथा इनकी मरम्मत पर जो राशि खर्च हुई उसका विवरण।

उचित मूल्य की दुकान का नाम	निर्माण की दिनांक	मरम्मत की दिनांक	सभा कोष से मुरम्मत पर खर्च की गई राशि	जर्जर भवनों से हुये सस्ते राशन के नुकसान का विवरण
1) बड़गाँव (दी बैडगाँव ग्राम सेवा सहकारी सभा सी.)	1964	2022	3.5 लाख (मुरम्मत का कार्य प्रगति पर है)	शून्य
2) बल्हसीना (दी मलारी ग्राम सेवा सहकारी सभा सी.)	1959	2018-19	4.00 लाख	शून्य
3) बाला (दी कृष्णा बैहरन ग्राम सेवा सहकारी सभा सी.)	1996	2018-19	10.00 लाख	शून्य
4) डोखड़ु (दी कृष्णा बैहरन ग्राम सेवा सहकारी सभा सी.)	1999	2017-18	2.00 लाख	शून्य
5) आनंदघाट (दी झण्डूता ग्राम सेवा सहकारी सभा सीमित)	1995	2017-18	2.00 लाख	शून्य
6) कुहमंझवाड़ (दी कुहमझवाड़ ग्राम सेवा सहकारी सभा सी.)	1989	--------	--------	शून्य
7) सलनू (दी सलनू कृषि सेवा सहकारी सभा सी.)	1990	-----	--------	शून्य
8) दी कुंगरहट्टी (दी चाँदपुर ग्राम सेवा सहकारी सभा सीमित)	1975	-----	------	शून्य
9) कृष्णा दली (दी कृष्णा ग्राम सेवा सहकारी सभा सी.)	1970	--------	---------	शून्य
10) धरोट (दी धरोट ग्राम सेवा सहकारी	1979	--------	-------	शून्य

सभा सी.)				
11) कुटेहला (दी कुटेहला ग्राम सेवा सहकारी सभा सी.)	1985	---------	---------	शून्य
12) छकोह (दी छकोह ग्राम सेवा सहकारी सभा सी.)	1990	---------	-----------	शून्य

***